



**झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची**  
**JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI**

**Central Sector Scheme of Scholarship के संबंध में**  
**आवश्यक सूचना**

**विज्ञापित संख्या - 15/2011**

एतर्था द्वारा वार्षिक इंटर परीक्षा, 2010 में उत्तीर्ण ऐसे छात्र/छात्राओं, उनके अभिभावकों एवं संबंधित इंटर महाविद्यालय तथा +2 विद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्याओं को सूचित किया जाता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार के द्वारा सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशीप के तहत झारखण्ड राज्य के लिए 1878 छात्रवृत्तियाँ स्वीकृत की गई हैं। 80 percentile या उसके ऊपर स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रायें इसके लिये योग्य समझे गये हैं। वार्षिक इंटर परीक्षा, 2010 में उत्तीर्ण ऐसे छात्र/छात्राओं, जो अर्हता रखते हैं और जो छात्रवृत्ति की परिधि में आ सकते हैं, की सूची एवं आवेदन पत्र का प्रपत्र संबंधित महाविद्यालयों/+2 विद्यालयों को विशेष दूत के माध्यम से भेजे जा रहे हैं।

संबंधित छात्र/छात्रा/अभिभावक से अनुरोध है कि वे अपने महाविद्यालय के प्राचार्य से सम्पर्क कर आवेदन पत्र तीन दिनों के अन्दर भरकर अपने महाविद्यालय/+2 विद्यालय के माध्यम से परिषद् को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अध्यक्ष के आदेशानुसार,

ह./-

( यमुना गिरि )

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/Inter/6287/10/SECY/68/11

Dt. 23.02.2011

D.O.P. 24.02.2011